

# कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर (म.प्र.)

## संशोधित कार्यविभाजन आदेश

क्रमांक-162 (एक-दो-01)07

सागर, दिनांक 23.09.2025

मैं महेश कुमार शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर कार्यविभाजन आदेश क्रमांक 45/(एक-दो-01)07 दिनांक 15.04.2025 में सिविल कोर्ट अधिनियम, 1958 की धारा 15 की उपधारा (1) एवं धारा 21 (4) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 214, 422 (2) और धारा 441 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नानुसार संशोधन समाहित करता हूँ।

| क  | न्यायालय का नाम व स्थान (02)                                                                            | क्षेत्राधिकार (03)      | प्रकरण का प्रकार, जिनकी सुनवाई कर निराकरण किया जाना है (04)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं प्रथम अति. सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण रहली श्री दिनेश देवड़ा | तहसील रहली एवं गढ़ाकोटा | <p><b>आपराधिक प्रकरण</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण, विविध दाण्डिक प्रकरण एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें।</li> <li>तहसील रहली एवं गढ़ाकोटा से संबंधित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत रिमांड स्तर से समस्त मामले एवं उनसे संबंधित विविध न्यायिक कार्यवाहियां एवं जमानत याचिकायें।</li> <li>विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत तहसील रहली एवं गढ़ाकोटा क्षेत्र से उत्पन्न प्रकरण व उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियां</li> <li>पुलिस आरक्षी केन्द्र गढ़ाकोटा थाना क्षेत्र से उत्पन्न सभी जमानत संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 482, 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 ।</li> </ol> <p><b>व्यवहार प्रकरण</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां</li> <li>तहसील रहली से उत्पन्न ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 1,00,000.01/- अंकन एक करोड़ एक रुपये से 2,00,000.00/- अंकन दो करोड़ रुपये तक का हो एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां</li> <li>पुलिस आरक्षी केन्द्र गढ़ाकोटा थाना क्षेत्र से उत्पन्न समस्त मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं उनसे संबंधित विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां</li> <li>भाडा नियंत्रण अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील प्रकरण</li> <li>म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, के अंतर्गत अपील प्रकरण</li> <li>लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 500/-अंकन पांच सौ रुपये से 1000/- अंकन एक हजार तक का हो।</li> <li>मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के अधीन उत्पन्न मामले एवं कार्यवाहियां।</li> <li>नगर दण्डाधिकारी रहली के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन की जाने वाली प्रतिबंधात्मक कार्यवाही से संबंधित आदेशों से उत्पन्न दांडिक अपील एवं दांडिक पुनरीक्षण याचिकायें।</li> <li>तहसील रहली एवं गढ़ाकोटा से उत्पन्न म0प्र0 लोक न्यास अधिनियम, से संबंधित प्रकरण एवं उनसे संबंधित कार्यवाहियां</li> </ol> |

|    |                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                  |                         | <p>14. मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्वाचन याचिकायें</p> <p>15. प्रोबेट पिटीशन से संबंधित मामले</p> <p>16. मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 307 उपधारा (5) के अंतर्गत याचिकायें।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2. | द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं द्वितीय अति. सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण रहली (श्री उमेश कुमार पटेल) | तहसील रहली एवं गढ़ाकोटा | <p><b>आपराधिक प्रकरण</b></p> <p>1. सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण, विविध दाण्डिक प्रकरण एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें।</p> <p>2. <b>समस्त (वर्तमान व पूर्व पदस्थ) व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड/वरिष्ठ खण्ड तहसील रहली एवं गढ़ाकोटा द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों से उत्पन्न आपराधिक अपीलें एवं पुनरीक्षण याचिका</b></p> <p>3. मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 के अंतर्गत उत्पन्न प्रकरण</p> <p>4. पुलिस आरक्षी केन्द्र रहली थाना क्षेत्र से उत्पन्न सभी जमानत संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा <b>482, 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023</b>(पॉक्सो एक्ट के प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p><b>व्यवहार प्रकरण</b></p> <p>5. जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां</p> <p>6. तहसील रहली से उत्पन्न ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन <b>2,00,000.01/-</b> अंकन दो करोड़ एक रुपये या उससे अधिक का हो एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां</p> <p>7. मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के अंतर्गत समस्त प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां</p> <p>8. <b>समस्त (वर्तमान व पूर्व पदस्थ) व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड/वरिष्ठ खण्ड तहसील रहली एवं गढ़ाकोटा के न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों से उत्पन्न नियमित एवं विविध सिविल अपीलें</b></p> <p>9. पुलिस आरक्षी केन्द्र रहली थाना क्षेत्र से उत्पन्न समस्त <b>मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण</b> एवं उनसे संबंधित विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां</p> <p>10. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 से उत्पन्न, तहसील रहली एवं गढ़ाकोटा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकरण (परिवार न्यायालय सागर के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>11. हिन्दू अप्राप्तवय एवं संरक्षकता अधिनियम, 1956 के अधीन उत्पन्न कार्यवाहियां।</p> <p>12. विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन उत्पन्न कार्यवाहियां।</p> <p>13. हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम, 1956 के अधीन उत्पन्न कार्यवाहियां।</p> <p>14. तहसील रहली एवं गढ़ाकोटा से संबंधित उत्तराधिकार अधिनियम, के तहत उत्पन्न अपील प्रकरण</p> <p>15. संरक्षकता एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 से संबंधित प्रकरण</p> <p>16. भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869 के अंतर्गत</p> |

|    |                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                         |                       | <p>समस्त प्रकरण (परिवार न्यायालय सागर के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>17. दिवाला अधिनियम, के अंतर्गत रुपये 1,00,00,000 /- अंकन एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के प्रकरण</p> <p>18. भू-अर्जन के अंतर्गत सभी मामले एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 64 के अधीन आवेदन/निर्देश।</p> <p>19. तहसील क्षेत्र रहली व गढ़ाकोटा से संबंधित जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के सुनवायी योग्य समस्त प्रकार के प्रकरण जो कि कार्यविभाजन पत्रक में उल्लिखित न हों।</p> <p>20. पूर्व में पदस्थ रहे समस्त रिक्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीशगण रहली के द्वारा निराकृत सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों से उत्पन्न होने वाली निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियों से संबंधित कार्य</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3. | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मालथौन के प्रथम अति० न्यायाधीश सुश्री गौरी सक्सेना, | तहसील मुख्यालय मालथौन | 1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4. | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मालथौन के द्वितीय अति० न्यायाधीश श्री ध्रुव अग्रवाल | तहसील मुख्यालय मालथौन | <p>1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।</p> <p>2. तहसील मालथौन से संबंधित ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 01/- अंकन एक रुपये से 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक का हो एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां</p> <p>3. तहसील मालथौन से संबंधित मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह विच्छेद एवं वैवाहिक पुनर्स्थापना से संबंधित प्रस्तुत होने वाली याचिकायें एवं वाद पत्र।</p> <p>4. लघुवाद प्रकरण रुपये 200/- अंकन दो सौ रुपये तक के मूल्यांकन के प्रकरण</p> <p>5. भारतीय दिवालिया अधिनियम, के अंतर्गत ऐसे प्रकरण जिनका मूल्यांकन 01/- अंकन एक रुपये से 5,000,00/-अंकन पांच लाख रुपये तक का हो</p> <p>6. म०प्र० लोक न्यास अधिनियम, के अंतर्गत रुपये 1/-अंकन एक रुपये से लेकर रुपये 5,00,000/-अंकन पांच लाख रुपये तक के प्रकरण</p> <p>7. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड द्वारा विचाराणीय ऐसे प्रकरण जिनके लिये अन्य किसी व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के लिये अधिकृत ना किया गया हो।</p> <p>8. पूर्व पदस्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मालथौन व श्रृंखला न्यायालय मालथौन द्वारा निराकृत सिविल प्रकरणों से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां</p> |

नोट-01. तहसील रहली व गढ़ाकोटा से संबंधित कार्यविभाजन आदेश न्यायिक अधिकारी श्री उमेश कुमार पटेल के कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से लागू होगा।

02. तहसील मालथौन से संबंधित कार्यविभाजन आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

03. उक्त संशोधन के अतिरिक्त शेष कार्यविभाजन आदेश यथावत रहेगा।

(महेश कुमार शर्मा)

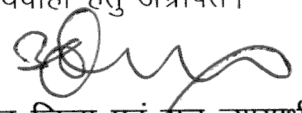
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
सागर (म.प्र.)

23/05/2025

6044  
पृष्ठाकनं कमांक (एक-दो-01)07  
प्रतिलिपि:-

सागर दिनांक: 23.09.2025

1. समस्त न्यायाधीशगण जिला स्थापना सागर ।
2. पंजीयन लिपिक रहली / मालथौन जिला सागर ।
3. प्रस्तुतकार / निष्पादन लिपिक, प्रधान जिला न्यायाधीश, सागर ।
4. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ रहली / मालथौन ।  
की ओर सूचनार्थ, पालनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
सागर (म.प्र.)  
23/9/2025